भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-30

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन और उसकी मांग एवं आपूर्ति में अन्तर

***30. डॉ. सत्यनारायण जटियाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में क्रमशः 30 जून, 2019 और 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन के प्रत्येक स्रोत से अधिकतम कितना- कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच कितना-कितना अंतर रहा है और उक्त आपूर्ति अन्तर को पाटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) आगामी वर्ष 2025 तक देश में विद्युत उत्पादन के स्रोतों सहित इसकी संभावित मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए क्या-क्या उपाय किए जाएंगे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत उत्पादन और उसकी मांग एवं आपूर्ति में अन्तर" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) : देश में 01.04.2019 से 30.06.2019 तक और 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के प्रत्येक स्रोत से विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्रमश: 375.5 बिलियन यूनिट (बीयू) और 1055.4 बीयू था। स्रोत-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : अप्रैल, 2019 - जून, 2019 और अप्रैल, 2019 - दिसम्बर, 2019 की अवधि के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर क्रमश: 1.679 बीयू (0.5%) और 5.225 बीयू (0.5%) था। संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 369 गीगी वाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान अनुभव की गई अधिकतम मांग लगभग 184 जीडब्ल्यू थी। इस प्रकार, उपरि उल्लिखित अंतर सामान्यत: देश में विद्युत की उपलब्धता के अलावा अन्य कारणों अर्थात् उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए धन के अभाव आदि के कारण है।

(ग) : वर्ष 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत संस्थापित क्षमता 4,79,419 एमडब्ल्यू प्राक्कलित है जिसमें 2,17,302 एमडब्ल्यू कोयला, 25,735 एमडब्ल्यू गैस, 51,301 एमडब्ल्यू जल विद्युत, 10,080 एमडब्ल्यू न्यूक्लियर और 1,75,000 एमडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2026-27 के अंत तक अखिल भारतीय विद्युत संस्थापित क्षमता 6,19,066 एमडब्ल्यू प्राक्कलित है जिसमें 2,38,150 एमडब्ल्यू कोयला, 25,735 एमडब्ल्यू गैस, 63,301 एमडब्ल्यू जल विद्युत, 16,880 एमडब्ल्यू न्यूक्लियर और 2,75,000 एमडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इस संस्थापित क्षमता से यह परिकल्पित है कि अखिल भारत आधार पर विद्युत की मांग को पूर्णरूप से पूरा किया जाने की संभावना है।

****

<u>अनुबंध</u>

"विद्युत उत्पादन और उसकी मांग एवं आपूर्ति में अन्तर" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

****

श्रेणी	**विद्युत उत्पादन (बीयू)**	
	01.04.2019 से 30.06.2019 तक	**01.04.2019से 31.12.2019 तक***
ताप		
कोयला	266.60	718.47
लिगनाइट	8.09	23.95
प्राकृतिक गैस	12.99	37.11
डीजल	0.04	0.08
कुल ताप	**287.72**	**779.62**
न्यूक्लियर	11.12	35.69
जल विद्युत	39.50	129.54
भूटान से आयात	0.92	5.55
नवीकरणीय	36.24	105.02
कुल जोड़	**375.50**	**1055.41**

*अनिंतम ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-291

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त विद्युत क्षमता उत्पादन

291. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अतिरिक्त विद्युत क्षमता का निर्माण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष में उक्त लक्ष्य की तुलना में देश में अभी तक जोड़ी गई विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : पारम्परिक स्रोतों से अतिरिक्त विद्युत सृजन क्षमता के लिए, वर्ष 2019-20 के दौरान, सरकार ने 12,186.16 मेगावॉट का लक्ष्य नियत किया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध, 31.12.2019 तक 5,445 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता की अधिप्राप्ति कर ली गई है। क्षेत्र-वार तथा ईंधन-वार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मेगावाट)

	थर्मल		**हाइड्रो**		**न्यूक्लियर**		**कुल**		**%**
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	
केंद्रीय	6040	3280	600		700		**7340.00**	3280	44.7
राज्य	4256.15	2120	210.99		-	-	**4467.14**	2120	47.5
निजी	0	45	379		-	-	**379.00**	45	11.9
कुल	**10296.15**	**5445**	**1189.99**	**0**	**700**	**0**	**12186.14**	**5445**	44.7
%		52.9		0.0				44.7	

कथित लक्ष्यों की अधिप्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले उपाय नीचे दिए गए हैं :

(I) विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) डेवलपरों एवं अन्य पणधारकों के साथ अंत: क्रियाओं तथा नियमित स्थल दौरों के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।

सीईए परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए नाजुक मुद्दों की पहचान करने तथा उनके समाधान के लिए डेवलपरों तथा अन्य पणधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।

(II) अंतर-मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मुद्दों के तीव्र समाधान हेतु बाधक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) में नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।

(III) केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की परियोजनाओं के संबंध में, परियोजना कार्यान्वयन मानकों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक सहमति ज्ञापन में शामिल किया गया है और इनकी निगरानी सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक तथा विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों के दौरान की जाती है।

(IV) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दों का समाधान करने में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए इन मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया गया है।

(V) जब कभी जरूरत हो, इन मामलों की अग्रसक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए पीएमओ के प्रगति पोर्टल पर भी समीक्षा की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-292

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

विद्युत की अधिकतम मांग के समय विद्युत भार और ग्रिड क्षमता

292. डॉ. अशोक बाजपेयीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना की परिपूर्णता की स्थिति के बाद विद्युत की अधिकतम मांग के समय अपेक्षित विद्युत भार का राज्य-वार आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत की अधिकतम मांग के समय अनुमानित विद्युत भार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमानित विद्युत भार को पूरा करने के लिए ग्रिड क्षमता पर्याप्त होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उत्पादन और ग्रिड क्षमता को तदनुसार बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने राज्य-वार व्यस्ततम मांग का प्राक्कलन किया है जिसमें सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए घरों के कारण विद्युत मांग शामिल है। वर्ष 2019-20 के लिए सीईए द्वारा यथा प्राक्कलित व्यस्ततम मांग का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : इस समय, अखिल भारत संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 369 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जबकि देश की अधिकतम व्यस्ततम मांग 184 जीडब्ल्यू है। इस प्रकार, देश में उत्पादन क्षमता देश में व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

.

****

अनुबंध

दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 292 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

एलजीबीआर 2019-20 के अनुसार 2019-20 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुमानित व्यस्ततम मांग

राज्य/क्षेत्र	व्यस्ततम			
	मांग	उपलब्धता	अधिकतम(+)/	कमी(-)
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	385	410	25	6.5
दिल्ली	7,400	7,540	140	1.9
हरियाणा	10,700	12,010	1,310	12.2
हिमाचल प्रदेश	1,600	2,160	560	35.0
जम्मू एवं कश्मीर	3,440	2,430	-1,010	-29.4
पंजाब	13,640	11,040	-2,600	-19.1
राजस्थान	13,300	17,600	4,300	32.3
उत्तर प्रदेश	21,000	22,300	1,300	6.2
उत्तराखंड	2,280	2,270	-10	-0.4
उत्तरी क्षेत्र	**65,700**	**71,480**	**5,780**	**8.8**
छत्तीसगढ़	4,714	4,405	-309	-6.6
गुजरात	18,560	18,800	240	1.3
मध्य प्रदेश	13,276	14,400	1,124	8.5
महाराष्ट्र	23,380	22,854	-526	-2.2
दमन एवं द्वीप	350	372	23	6.6
दादरा एवं नगर हवेली	840	840	0	0.0
गोवा	622	671	49	7.9
पश्चिमी क्षेत्र	**57,083**	**58,529**	**1,446**	**2.5**
आंध्र प्रदेश	10,869	11,334	465	4.3
कर्नाटक	13,525	13,542	17	0.1
केरल	4,339	4,357	18	0.4
तमिलनाडु	15,750	16,381	631	4.0
तेलंगाना	14,418	14,956	538	3.7
पुदुचेरी	509	421	-89	-17.4
दक्षिणी क्षेत्र	**53,967**	**55,675**	**1,708**	**3.2**
बिहार	5,350	5,129	-221	-4.1
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	3,135	4,831	1,697	54.1
झारखंड	1,440	1,355	-85	-5.9
ओडिशा	5,250	5,848	598	11.4
पश्चिम बंगाल	9,959	9,793	-165	-1.7
सिक्किम	125	187	62	49.4
पूर्वी क्षेत्र	**25,897**	**27,863**	**1,966**	**7.6**
अरूणाचल प्रदेश	154	202	48	31.5
असम	2,060	1,378	-682	-33.1
मणिपुर	235	196	-39	-16.8
मेघालय	402	486	84	20.9
मिजोरम	133	153	20	15.2
नागालैंड	135	144	9	6.9
त्रिपुरा	335	484	148	44.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,264**	**3,013**	**-250**	**-7.7**
अखिल भारत	**1,89,951**	**2,05,870**	**15,919**	**8.4**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-293

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

जल-विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन

293. डॉ. सत्यनारायण जटियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जल-विद्युत संयंत्रों का उनकी उत्पादन क्षमता और स्थापना वर्ष सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसंबर, 2019 तक प्रत्येक संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत और उनकी उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में स्थापित किए जाने वाले जल-विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : 31.12.2019 को, देश में 45399.20 मेगावाट कुल क्षमता के 204 जल विद्युत संयत्र (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालन में हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान, उत्पादन क्षमता एवं चालू होने का वर्ष, उत्पादन की गई विद्युत की मात्रा के साथ इन जल विद्युत संयत्रों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : इस समय, 12409.5 मेगावाट की समग्र क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अलावा, इस समय कुल 2182 मेगावाट क्षमता की 7 जल विद्युत परियोजनाएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/निर्माण-पूर्व स्तर पर हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

****

अनुबंध-I

जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के संबंध में दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के अनुबंध भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पादन सहित देश में जल विद्युत संयंत्रों का (25 मेगावाट से ज्यादा आईसी) राज्य/स्टेशन-वार ब्यौरा और चालू करने का वर्ष।

क्षेत्र/राज्य/स्टेशन	31.12.2019 के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)				चालू वर्ष
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 के अनुसार) अनंतिम	
हिमाचल प्रदेश						
केन्द्रीय क्षेत्र						
बीबीएमबी						
भाखड़ा एल व आर	1379.00	5168.27	5134.02	4238.19	5067.12	1960 (108 मे.वा.) 1961 (484 मे.वा.) 1966 (314 मे.वा.) 1967 (314 मे.वा.) 1968 (157 मे.वा.)
देहार	990.00	3184.68	3086.24	3226.30	2993.64	1977 (165 मे.वा.) 1978 (165 मे.वा.) 1979 (330 मे.वा.) 1983 (330 मे.वा.)
पोंग	396.00	1369.93	1641.57	1512.56	1095.06	1978 (198 मे.वा.) 1979 (66 मे.वा.) 1982 (66 मे.वा.) 1983 (66 मे.वा.)
कुल बीबीएमबी-एचपी	**2765.00**	**9722.88**	**9861.83**	**8977.05**	**9155.82**	
एनएचपीसी						
बैरा सियुल	180.00	669.33	641.73	366.67	203.72	1980 (132 मे.वा.) 1981 (66 मे.वा.)
चमेरा-I	540.00	2224.39	2344.08	2484.56	2295.81	1994 (540 मे.वा.)
चमेरा-II	300.00	1443.93	1487.11	1508.02	1093.26	2003 (200 मे.वा.) 2004 (100 मे.वा.)
चमेरा-III	231.00	917.09	1068.05	1043.42	971.60	2012 (231 मे.वा.)
पारबती III	520.00	682.48	710.53	608.30	646.80	2014 (520 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी -एचपी	**1771.00**	**5937.22**	**6251.50**	**6010.97**	**5211.19**	
एसजेवीएन						
नाफ्था झाकड़ी	1500.00	7050.64	7207.73	6507.15	6808.54	2003 (500 मे.वा.) 2004 (1000 मे.वा.)
रामपुर	412.00	1960.42	2015.00	1828.77	1913.52	2014 (412 मे.वा.)
कुल एसजेवीएन	**1912.00**	**9011.06**	**9222.73**	**8335.92**	**8722.06**	
एनटीपीसी						
कोलडैम	800.00	3225.16	3313.62	3013.93	3169.21	2015 (800 मे.वा.)
कुल एनटीपीसी	**800.00**	**3225.16**	**3313.62**	**3013.93**	**3169.21**	
कुल केन्द्रीय-एचपी	**7248.00**	**27896.32**	**28649.68**	**26337.87**	**26258.28**	
राज्य क्षेत्र						
एचपीपीसीएल						
कशांग I	65.00	56.09	197.13	118.24	187.92	2016 (130 मे.वा.)
कशांग II & III	130.00					2017 (65 मे.वा.)
सैंज	100.00	0.00	134.99	408.81	306.59	2017 (100 मे.वा.)
कुल एचपीपीसीएल	**295.00**	**56.09**	**332.12**	**527.05**	**494.51**	
एचपीएसईबी लि.						
बस्सी	66.00	297.76	315.17	251.56	292.07	1970 (33 मे.वा.) 1971 (16.5 मे.वा.) 1981 (16.5 मे.वा.)
गिरि बाटा	60.00	140.60	169.94	214.45	171.07	1978 (60 मे.वा.)

लारजी	126.00	611.66	612.36	593.86	592.72	2006 (126 मे.वा.)
संजय	120.00	187.40	493.39	589.42	531.51	1989 (120 मे.वा.)
कुल एचपीएसईबी लि.	**372.00**	**1237.42**	**1590.86**	**1649.29**	**1587.37**	
पीएसपीसीएल						
शानन	110.00	472.88	508.52	472.39	502.69	1932 (60 मे.वा.) 1982 (50 मे.वा.)
कुल पीएसपीसीएल-एचपी	**110.00**	**472.88**	**508.52**	**472.39**	**502.69**	
कुल राज्य क्षेत्र-एचपी	**777.00**	**1766.39**	**2431.50**	**2648.73**	**2584.57**	
निजी						
अलियन दुहांगन पावर पावर लि.						
अलियन दुहांगन	192.00	679.12	683.01	582.23	718.94	2010 (192 मे.वा.)
एवरेस्ट पावर निजी लि.						
मलाना-II	100.00	366.54	368.89	349.39	383.48	2011 (100 मे.वा.)
एचबीपीसीएल						
बासपा-II	300.00	1342.75	1336.65	1275.58	1261.85	2003 (300 मे.वा.)
करछम वांगटू	1000.00	4372.29	4569.93	3968.69	4306.07	2011 (1000 मे.वा.)
कुल एचबीपीसीएल	**1300.00**	**5715.04**	**5906.58**	**5244.27**	**5567.92**	
जीबीएचपीपीएल						
बुधिल	70.00	261.25	317.63	288.08	264.79	2012 (70 मे.वा.)
आईए एनर्जी प्रा. लि.						
चंजू I	36.00	11.29	79.42	137.45	153.35	2017 (36 मे.वा.)
मलाना पावर कंपनी लि.						
मलाना	86.00	353.79	346.29	320.55	344.84	2001 (86 मे.वा.)
कुल निजी-एचपी	**1784.00**	**7387.03**	**7701.82**	**6921.97**	**7433.32**	
कुल एचपी	**9809.00**	**37049.74**	**38783.00**	**35908.57**	**36276.17**	
जम्मू एवं कश्मीर						
केन्द्रीय क्षेत्र						
एनएचपीसी						
चूटक	44.00	44.12	45.72	48.96	86.23	2012 (33 मे.वा.) 2013 (11 मे.वा.)
दुलहस्ती	390.00	2280.02	2343.86	2273.38	1779.28	2007 (390 मे.वा.)
निम्मो बाजगो	45.00	95.21	98.83	105.55	133.43	2013 (45 मे.वा.)
सलाल-I	345.00	3423.09	3247.09	3412.55	3457.19	1987 (345 मे.वा.)
सलाल-II	345.00					1993 (115 मे.वा.) 1994 (115 मे.वा.) 1995 (115 मे.वा.)
सेवा-II	120.00	470.61	506.39	498.32	449.30	2010 (120 मे.वा.)
उरी	480.00	2803.10	2349.66	3048.29	2536.13	1996 (120 मे.वा.) 1997 (360 मे.वा.)
उरी -II	240.00	1471.94	1207.44	1580.92	1332.65	2013 (180 मे.वा.) 2014 (60 मे.वा.)
किशनगंगा	330.00	0.00	1.68	529.25	789.53	2018 (330 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी –जम्मू एवं कश्मीर	**2339.00**	**10588.09**	**9800.67**	**11497.22**	**10563.74**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र – जम्मू एवं कश्मीर	**2339.00**	**10588.09**	**9800.67**	**11497.22**	**10564**	
राज्य क्षेत्र						
जेकेएसपीडीसी						
बगलीहार	450.00	2184.56	2506.71	2291.15	2187.38	2008 (450 मे.वा.)
बगलीहार II	450.00	1758.98	1821.95	1857.91	1885.00	2015 (450 मे.वा.)
लोअर झेलम	105.00	483.15	480.99	589.33	384.25	1978 (35 मे.वा.) 1979 (70 मे.वा.)
अपर सिंध II	105.00	362.91	327.24	305.97	199.91	2000 (35 मे.वा.) 2001 (35 मे.वा.) 2002 (35 मे.वा.)
कुल जेकेएसपीडीसी	**1110.00**	**4789.60**	**5136.89**	**5044.36**	**4656.54**	
कुल राज्य क्षेत्र-जम्मू एवं कश्मीर	**1110.00**	**4789.60**	**5136.89**	**5044.36**	**4657**	
कुल जम्मू एवं कश्मीर	**3449.00**	**15377.69**	**14937.56**	**16541.58**	**15220.28**	
पंजाब						
केन्द्रीय क्षेत्र						
बीबीएमबी						

गंगुवाल	77.65	416.54	494.09	599.37	462.84	1955-1962
कोटला	77.65	430.58	508.22	609.60	470.84	1956 (48.4 मे.वा.) 1961 (29.25 मे.वा.)
कुल बीबीएमबी-पंजाब	**155.30**	**847.12**	**1002.31**	**1208.97**	**933.68**	
राज्य क्षेत्र						
पीएसपीसीएल						
ए.पी. साहिब I & II	134.00	673.87	647.81	427.78	533.94	1985 (67 मे.वा.) 1985 (67 मे.वा.)
मुकेरियां I - IV	207.00	1083.51	1270.76	1244.13	899.13	1983 (45 मे.वा.) 1988 (30 मे.वा.) 1989 (132 मे.वा.)
रंजीत सागर	600.00	1306.08	1803.42	1454.52	1686.76	2000 (600 मे.वा.)
कुल पीएसपीसीएल	**941.00**	**3063.46**	**3721.99**	**3126.43**	**3119.83**	
कुल राज्य क्षेत्र-पंजाब	**941.00**	**3063.46**	**3721.99**	**3126.43**	**3120**	
कुल पंजाब	**1096.30**	**3910.58**	**4724.30**	**4335.40**	**4054**	
राजस्थान						
राज्य क्षेत्र						
आरआरवीयूएनएल						
जवाहर सागर	99.00	307.55	261.10	247.00	191.80	1973 (99 मे.वा.)
माही बजाज I & II	140.00	209.66	180.17	117.08	152.95	1986 (50 मे.वा.) 1989 (90 मे.वा.)
आर.पी. सागर	172.00	448.78	378.26	334.32	54.53	1968 (129 मे.वा.) 1969 (43 मे.वा.)
कुल आरआरवीयूएनएल	**411.00**	**965.99**	**819.53**	**698.40**	**399.28**	
कुल राज्य क्षेत्र-राजस्थान	**411.00**	**965.99**	**819.53**	**698.40**	**399**	
कुल राजस्थान	**411.00**	**965.99**	**819.53**	**698.40**	**399**	
उत्तर प्रदेश						
राज्य क्षेत्र						
यूपीजेवीएनएल						
खारा	72.00	268.93	259.14	286.14	288.37	1992 (72 मे.वा.)
मातटीला	30.60	122.68	93.81	97.48	49.55	1965 (30.6 मे.वा.)
ओबरा	99.00	216.71	299.96	231.03	106.03	1970 (66 मे.वा.) 1971 (33 मे.वा.)
रिहंद	300.00	567.24	833.78	561.71	249.88	1962 (250 मे.वा.) 1966 (50 मे.वा.)
कुल यूपीजेवीएनएल	**501.60**	**1175.56**	**1486.69**	**1176.36**	**693.83**	
कुल राज्य क्षेत्र-यूपी	**501.60**	**1175.56**	**1486.69**	**1176.36**	**694**	
कुल उत्तर प्रदेश	**501.60**	**1175.56**	**1486.69**	**1176.36**	**694**	
उत्तराखण्ड						
केन्द्रीय क्षेत्र						
एनएचपीसी						
धौलीगंगा	280.00	956.13	1153.16	1106.21	1222.09	2005 (280 मे.वा.)
टनकपुर	94.20	430.29	459.74	452.89	475.26	1992 (94.2 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी-यूके	**374.20**	**1386.42**	**1612.90**	**1559.10**	**1697.35**	
टीएचडीसी लि.						
टीहरी	1000.00	3146.32	3080.94	3172.08	2274.45	2006 (500 मे.वा.) 2007 (500 मे.वा.)
कोटेश्वर	400.00	1224.55	1220.33	1223.84	904.59	2011 (200 मे.वा.) 2012 (200 मे.वा.)
कुल टीएचडीसी लि.	**1400.00**	**4370.87**	**4301.27**	**4395.92**	**3179.04**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र - यूके	**1774.20**	**5757.29**	**5914.17**	**5955.02**	**4876**	
राज्य क्षेत्र						
यूजेवीएनएल						
चिब्रो (वाई. स्टे.II)	240.00	714.00	783.57	809.53	812.74	1975 (180 मे.वा.) 1976 (60 मे.वा.)
चिल्ला	144.00	769.35	811.66	632.41	600.73	1980 (108 मे.वा.) 1981 (36 मे.वा.)
धकरनी (वाई स्टे.I)	33.75	120.19	129.68	147.48	140.65	1965 (11.25 मे.वा.) 1966 (11.25 मे.वा.) 1970 (11.25 मे.वा.)

धालीपुर (वाई.स्टे.I)	51.00	180.40	186.71	219.99	179.08	1965 (17 मे.वा.) 1966 (17 मे.वा.) 1970 (17 मे.वा.)
खटीमा	41.40	180.14	212.60	232.25	189.48	1955 (13.8 मे.वा.) 1956 (27.6 मे.वा.)
खोदरी (वाई.स्टे.II)	120.00	333.29	355.75	369.68	358.61	1984 (120 मे.वा.)
कुलहल (वाई.स्टे.IV)	30.00	122.20	123.97	146.55	122.10	1975 (30 मे.वा.)
मनेरी भाली-I	90.00	349.22	394.77	430.40	305.03	1984 (90 मे.वा.)
मनेरी भाली-II	304.00	1251.71	1276.65	1302.34	1217.61	2008 (304 मे.वा.)
रामगंगा	198.00	180.94	250.64	188.14	83.53	1975 (66 मे.वा.) 1976 (66 मे.वा.) 1977 (66 मे.वा.)
कुल यूजेवीएनेल	**1252.15**	**4201.44**	**4526.00**	**4478.76**	**4009.56**	
कुल राज्य क्षेत्र-उत्तराखण्ड	**1252.15**	**4201.44**	**4526.00**	**4478.76**	**4010**	
निजी क्षेत्र						
एचपीसी लि.						
श्रीनगर	330.00	1280.75	1382.54	1375.31	1387.84	2015 (330 मे.वा.)
जयप्रकाश पावर वेन्चर लि.						
विष्णु प्रयाग	400.00	2042.05	2160.90	1932.02	1869.20	2006 (400 मे.वा.)
कुल निजी क्षेत्र – यूके	**730.00**	**3322.80**	**3543.44**	**3307.32**	**3257.04**	
कुल उत्तराखण्ड	**3756.35**	**13281.53**	**13983.61**	**13741.10**	**12143**	
छत्तीसगढ़						
राज्य क्षेत्र						
सीएसपीजीसी						
हसदियो बांगो	120.00	153.76	178.07	243.08	196.82	1994 (80 मे.वा.) 1995 (40 मे.वा.)
कुल सीएसपीजीसी	**120.00**	**153.76**	**178.07**	**243.08**	**196.82**	
कुल राज्य क्षेत्र-छत्तीसगढ़	**120.00**	**153.76**	**178.07**	**243.08**	**197**	
कुल छत्तीसगढ़	**120.00**	**153.76**	**178.07**	**243.08**	**197**	
गुजरात						
राज्य क्षेत्र						
जीएसईसीएल						
कदानी पीएसएस	240.00	339.01	308.92	237.39	393.82	1990 (120 मे.वा.) 1998 (120 मे.वा.)
उकई	300.00	395.66	303.53	210.58	644.82	1974 (150 मे.वा.) 1975 (75 मे.वा.) 1976 (75 मे.वा.)
कुल जीएसईसीएल	**540.00**	**734.67**	**612.45**	**447.97**	**1038.64**	
एसएसएनएनएल						
सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	876.34	562.86	594.84	571.29	2004 (250 मे.वा.)
सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	2332.87	376.61	0.00	2580.39	2005 (800 मे.वा.) 2006 (400 मे.वा.)
कुल एसएसएनएनएल	**1450.00**	**3209.21**	**939.47**	**594.84**	**3151.68**	
कुल राज्य क्षेत्र -गुजरात	**1990.00**	**3943.88**	**1551.92**	**1042.81**	**4190**	
कुल गुजरात	**1990.00**	**3943.88**	**1551.92**	**1042.81**	**4190**	
मध्य प्रदेश						
केन्द्रीय						
एनएचडीसी						
इंदिरा सागर	1000.00	3320.79	881.76	1308.79	2288.33	2004 (875 मे.वा.) 2005 (125 मे.वा.)
ओंकारेश्वर	520.00	1427.70	443.6	612.04	993.85	2007 (520 मे.वा.)
कुल एनएचडीसी	**1520.00**	**4748.49**	**1325.36**	**1920.83**	**3282.18**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-एमपी	**1520.00**	**4748**	**1325**	**1921**	**3282**	
राज्य क्षेत्र						
एमपीपीजीसीएल						
बाणसागर टोन्स-I	315.00	1239.02	545.37	578.35	963.85	1991 (105 मे.वा.) 1992 (210 मे.वा.)
बाणसागर टोन्स-II	30.00	109.73	56.12	37.09	63.08	2002 (30 मे.वा.)
बाणसागर टोन्स-III	60.00	53.48	68.80	85.32	138.89	2000 (20 मे.वा.) 2001 (20 मे.वा.)

						2002 (20 मे.वा.)
बारगी	90.00	445.47	159.05	356.19	286.33	1988 (90 मे.वा.)
गांधी सागर	115.00	351.00	351.38	249.88	33.81	1960 (69 मे.वा.) 1963 (23 मे.वा.) 1966 (23 मे.वा.)
मधीखेरा	60.00	147.21	22.52	88.99	108.30	2006 (40 मे.वा.) 2007 (20 मे.वा.)
राजघाट	45.00	62.26	58.21	80.02	61.68	1999 (45 मे.वा.)
कुल एमपीपीजीपीसीएल	**715.00**	**2408.17**	**1261.45**	**1475.84**	**1656**	
कुल राज्य-एमपी	**715.00**	**2408.17**	**1261.45**	**1475.84**	**1656**	
कुल एम.पी.	**2235.00**	**7156.66**	**2586.81**	**3396.67**	**4938**	
महाराष्ट्र						
राज्य क्षेत्र						
महाजेनको						
भीरा टेल रेस	80.00	101.58	97.15	94.57	80.24	1987 (40 मे.वा.) 1988 (40 मे.वा.)
घाटघर पीएसएस	250.00	383.87	152.83	192.98	99.42	2008 (250 मे.वा.)
कोयना डीपीएच	36.00	156.02	135.15	196.18	109.26	1980 (18 मे.वा.) 1981 (18 मे.वा.)
कोयना स्टे.I&II	600.00	1290.21	1051.22	1024.61	939.19	1962 (140 मे.वा.) 1963 (140 मे.वा.) 1966 (240 मे.वा.) 1967 (80 मे.वा.)
कोयना स्टे.III	320.00	614.14	498.91	480.65	581.49	1975 (160 मे.वा.) 1977 (80 मे.वा.) 1978 (80 मे.वा.)
कोयना IV	1000.00	1245.48	945.47	1066.51	1353.34	1999 (500 मे.वा.) 2000 (500 मे.वा.)
तिल्लारी	60.00	106.16	57.81	110.96	72.43	1986 (60 मे.वा.)
वैतर्णा	60.00	153.52	204.62	154.17	73.49	1976 (60 मे.वा.)
कुल महाजेनको	**2406.00**	**4050.98**	**3143.16**	**3320.63**	**3308.86**	
एमपीपीजीपीसीएल						
पेंच	160.00	360.14	159.53	131.61	181.56	1986 (80 मे.वा.) 1987 (80 मे.वा.)
कुल एमपीपीजीपीसीएल-महा.	**160.00**	**360.14**	**159.53**	**131.61**	**182**	
कुल राज्य क्षेत्र-महा.	**2566.00**	**4411.12**	**3302.69**	**3452.24**	**3490**	
निजी क्षेत्र						
डोडसन-लिंडबलोम हाइड्रो पावर प्रा. लि. (डीएलएचपीएल)						
भंडरधारा - II	34.00	47.12	42.55	56.44	13.41	1996 (34 मे.वा.)
कुल डीएलएचपी	**34.00**	**47.12**	**42.55**	**56.44**	**13.41**	
टाटा पावर कंपनी लि.						
भीरा	150.00	951.63	341.17	351.02	279.14	1927 (125 मे.वा.) 1949 (25 मे.वा.)
भीरा पीएसएस	150.00		551.13	558.77	431.47	1995 (150 मे.वा.)
भिवपुरी	75.00	206.59	307.20	315.90	225.94	1997 (3 मे.वा.) 1998 (48 मे.वा.) 1999 (24 मे.वा.)
खोपोली	72.00	307.24	316.38	342.49	255.31	2001 (24 मे.वा.) 2002 (24 मे.वा.) 2003 (24 मे.वा.)
कुल टीपीसीएल	**447.00**	**1465.46**	**1515.88**	**1568.18**	**1191.86**	
कुल निजी क्षेत्र-महा.	**481.00**	**1512.58**	**1558.43**	**1624.62**	**1205**	
कुल महाराष्ट्र	**3047.00**	**5923.70**	**4861.12**	**5076.86**	**4696**	
आंध्र प्रदेश						
राज्य क्षेत्र						
एपजेनको						
एन.जे.सागर टीपीडी	50.00	7.35	42.13	49.92	77.50	2017 (50 मे.वा.)
एन.जे. सागर आरबीसी	90.00	4.15	59.73	101.55	102.84	1983-90
श्रीशैलम आरबी	770.00	640.61	574.95	551.07	1126.36	1982 (220 मे.वा.) 1983 (110 मे.वा.)

						1984 (110 मे.वा.) 1986 (220 मे.वा.) 1987 (110 मे.वा.)
अपर सिलेरू I & II	240.00	340.41	482.22	476.34	445.14	1967 (60 मे.वा.) 1968 (60 मे.वा.) 1994 (60 मे.वा.) 1995 (60 मे.वा.)
लोअर सिलेरू	460.00	831.90	1109.77	1094.06	583.49	1976 (230 मे.वा.) 1977 (115 मे.वा.) 1978 (115 मे.वा.)
कुल एपजेनको	**1610.00**	**1824.42**	**2268.80**	**2272.94**	**2335.33**	
कुल राज्य क्षेत्र-एपी	**1610.00**	**1824.42**	**2268.80**	**2272.94**	**2335**	
कुल आंध्र प्रदेश	**1610.00**	**1824.42**	**2268.80**	**2272.94**	**2335**	
कर्नाटक						
राज्य क्षेत्र						
केपीसीएल						
अलमाट्टी डैम	290.00	404.05	441.58	408.42	569.03	2004 (70 मे.वा.) 2005 (220 मे.वा.)
भद्रा	26.00	27.06	15.69	55.21	50.33	1965 (26 मे.वा.)
गेरुसोप्पा	240.00	276.60	280.89	525.67	427.94	2001 (180 मे.वा.) 2002 (60 मे.वा.)
घाटप्रभा	32.00	48.74	48.37	80.67	28.20	1992 (32 मे.वा.)
जोग	139.20	288.25	191.48	194.44	207.36	1949 (26.4 मे.वा.) 1950 (13.2 मे.वा.) 1952 (65 मे.वा.) 2001 (13.2 मे.वा.) 2002 (21.6 मे.वा.)
कद्रा	150.00	176.42	192.91	375.85	374.29	1997 (50 मे.वा.) 1999 (100 मे.वा.)
कालीनदी	855.00	1344.82	1537.28	2777.85	2457.35	1979 (135 मे.वा.) 1980 (135 मे.वा.) 1981 (135 मे.वा.) 1982 (135 मे.वा.) 1983 (135 मे.वा.) 1984 (135 मे.वा.)
सूपा डीपीएच	100.00	239.20	290.98	596.16	399.56	1985 (100 मे.वा.)
कोडासली	120.00	154.16	170.94	345.56	345.08	1998 (40 मे.वा.) 1999 (80 मे.वा.)
लिंगनामक्की	55.00	105.64	125.55	252.53	201.64	1979 (27.5 मे.वा.) 1980 (27.5 मे.वा.)
मुनीराबाद	28.00	31.49	51.38	89.42	59.63	1962 (18 मे.वा.) 1965 (10 मे.वा.)
शरवती	1035.00	2708.77	2722.35	4786.18	3630.06	1964 (103.5 मे.वा.) 1965 (103.5 मे.वा.) 1967 (207 मे.वा.) 1968 (311 मे.वा.) 1971 (103.5 मे.वा.) 1976 (103.5 मे.वा.) 1977 (103.5 मे.वा.)
शिवसमुंद्रम	42.00	145.14	176.81	284.19	223.60	1922 (3 मे.वा.) 1923 (3 मे.वा.) 1924 (9 मे.वा.) 1925 (3 मे.वा.) 1928 (18 मे.वा.) 1934 (6 मे.वा.)
वराही	460.00	740.75	762.44	1243.79	851.87	1989 (115 मे.वा.) 1990 (115 मे.वा.) 2009 (230 मे.वा.)
कुल केपीसीएल	**3572.20**	**6691.09**	**7008.65**	**12015.94**	**9825.94**	
एपजेनको						
टी.बी. डैम एवं हम्पी	72.00	81.26	133.97	171.75	154.70	1957 (18 मे.वा.)

						1958 (18 मे.वा.) 1964 (36 मे.वा.)
कुल एपजेनको-कर्नाटक	**72.00**	**81.26**	**133.97**	**171.75**	**154.70**	
कुल राज्य क्षेत्र-कर्नाटक	**3644.20**	**6772.35**	**7142.62**	**12187.69**	**9980.64**	
कुल कर्नाटक	**3644.20**	**6772.35**	**7142.62**	**12187.69**	**9980.64**	
केरल						
राज्य क्षेत्र						
केएसईबी लि.						
इडमलयार	75.00	171.72	256.26	345.50	164.54	1987 (75 मे.वा.)
इडुक्की	780.00	1380.06	1611.06	2920.43	1357.44	1976 (390 मे.वा.) 1985 (130 मे.वा.) 1986 (260 मे.वा.)
कक्कड़	50.00	131.68	159.88	221.66	134.49	1999 (50 मे.वा.)
कुट्टियाडी & कुट्टियाडी एडि.	225.00	478.72	601.06	693.38	469.07	1972 (75 मे.वा.) 2001 (50 मे.वा.) 2010 (100 मे.वा.)
लोअर पेरियार	180.00	307.23	507.74	525.18	391.87	1997 (180 मे.वा.)
नेरियामंगलम	45.00	197.30	310.60	377.85	279.61	1961 (30 मे.वा.) 1963 (15 मे.वा.)
पल्लीवासल	37.50	166.05	188.39	185.25	107.92	1948 (7.5 मे.वा.) 1949 (7.5 मे.वा.) 1951 (7.5 मे.वा.) 2001 (15 मे.वा.)
पन्नियार	30.00	62.33	129.47	114.59	116.49	1963 (15 मे.वा.) 2001 (15 मे.वा.)
पोरिंगलकुथु	32.00	91.10	116.74	94.60	86.92	1957 (8 मे.वा.) 1958 (8 मे.वा.) 1959 (8 मे.वा.) 1960 (8 मे.वा.)
शबरीगिरी	300.00	798.79	968.46	1516.40	829.92	1960 (150 मे.वा.) 1967 (150 मे.वा.)
सेंगुलम	48.00	115.66	144.91	122.98	123.28	1954 (24 मे.वा.) 2001 (24 मे.वा.)
शोलायार	54.00	166.85	204.69	202.39	141.52	1956 (18 मे.वा.) 1968 (36 मे.वा.)
कुल केएसईबी लि.	**1856.50**	**4067.49**	**5199.26**	**7320.21**	**4203.07**	
कुल राज्य क्षेत्र-केरल	**1856.50**	**4067.49**	**5199.26**	**7320.21**	**4203.07**	
कुल केरल	**1856.50**	**4067.49**	**5199.26**	**7320.21**	**4203.07**	
तमिलनाडु						
राज्य क्षेत्र						
टांनजैडको						
अलियर	60.00	61.73	90.08	48.57	54.59	1970 (60 मे.वा.)
भवानी के बैराज-III	30.00	17.47	0.00	34.06	35.87	2012 (30 मे.वा.)
भवानी के बैराज-II	30.00	19.83	37.62	77.16	47.12	2013 (30 मे.वा.)
भवानी के बैराज-I	30.00	20.59	16.96	70.20	52.90	2006 (30 मे.वा.)
कदमपराई पीएसएस	400.00	289.39	384.36	434.75	249.73	1987 (100 मे.वा.) 1988 (200 मे.वा.) 1989 (100 मे.वा.)
कोडयार I&II	100.00	169.43	123.98	194.08	125.94	1970 (60 मे.वा.) 1971 (40 मे.वा.)
कुन्डाह I-V	555.00	815.61	806.23	1608.99	1138.79	1960 (75 मे.वा.) 1961 (105 मे.वा.) 1964 (75 मे.वा.) 1965 (120 मे.वा.) 1978 (110 मे.वा.) 1966 (50 मे.वा.) 1988 (20 मे.वा.)
लोअर मेट्टूर I-IV	120.00	92.27	131.95	220.32	201.45	1987 (15 मे.वा.) 1988 (90 मे.वा.) 1989 (15 मे.वा.)

मेट्टूर डैम	50.00	125.48	52.24	147.96	111.79	1937 (25 मे.वा.) 1938 (12.5 मे.वा.) 1946 (12.5 मे.वा.)
मेट्टूर टनल	200.00		163.32	440.59	331.70	1965 (50 मे.वा.) 1966 (150 मे.वा.)
मोयर	36.00	61.52	94.40	161.99	94.35	1952 (24 मे.वा.) 1953 (12 मे.वा.)
पापनाशम	32.00	66.54	115.28	120.91	67.84	1944 (16 मे.वा.) 1945 (8 मे.वा.) 1951 (8 मे.वा.)
पार्सनस वैली	30.00	23.95	27.11	45.94	17.66	2000 (30 मे.वा.)
पेरियार	161.00	93.91	287.10	703.00	449.89	1958 (35 मे.वा.) 1959 (70 मे.वा.) 1965 (35 मे.वा.)
पाईकारा	59.20	12.74	0.98	22.05	17.61	1932 (14 मे.वा.) 1933 (7 मे.वा.) 1939 (11 मे.वा.) 1954 (27.2 मे.वा.)
पाईकारा अल्टीमेट	150.00	192.55	274.11	507.96	278.15	2005 (150 मे.वा.)
सरकारपथी	30.00	63.29	85.46	129.65	71.96	1966 (30 मे.वा.)
सोलयार I	70.00	228.11	157.73	220.86	228.59	1971 (70 मे.वा.)
सुरुलियर	35.00	42.71	70.69	92.55	92.65	1978 (35 मे.वा.)
कुल टांजैडको	**2178.20**	**2397.12**	**2919.60**	**5281.59**	**3668.58**	
कुल राज्य क्षेत्र-टीएन	**2178.20**	**2397.12**	**2919.60**	**5281.59**	**3668.58**	
कुल तमिलनाडु	**2178.20**	**2397.12**	**2919.60**	**5281.59**	**3668.58**	
तेलंगाना						
राज्य क्षेत्र						
टीएसजेनको						
लोअर जुराला	240.00	176.34	205.90	153.31	317.79	2015 (80 मे.वा.) 2016 (160 मे.वा.)
एन.जे. सागर पीएसएस	815.60	186.15	184.49	338.82	1415.05	1978 (110 मे.वा.) 1980 (100.8 मे.वा.) 1981 (100.8 मे.वा.) 1982 (100.8 मे.वा.) 1983 (100.8 मे.वा.) 1984 (100.8 मे.वा.) 1985 (202 मे.वा.)
एन.जे. सागर एलबीसी	60.00	0.00	12.80	53.30	83.07	1983 (60 मे.वा.)
पोचमपाड	36.00	75.29	35.69	31.70	21.63	1987-1988, 2010
प्रियदर्शनी जुराला	234.00	211.99	217.40	165.00	321.74	2008 (78 मे.वा.) 2009 (39 मे.वा.) 2010 (78 मे.वा.) 2011 (39 मे.वा.)
पुलीचिंताला	120.00	13.00	6.60	17.30	180.90	2016 (60 मे.वा.) 2017 (60 मे.वा.)
श्रीशैलम एलबी	900.00	617.22	829.10	985.18	1712.84	2001 (300 मे.वा.) 2002 (450 मे.वा.) 2003 (150 मे.वा.)
कुल टीएसजैनको	**2405.60**	**1279.99**	**1491.98**	**1744.61**	**4053.02**	
कुल राज्य क्षेत्र-तेलंगाना	**2405.60**	**1279.99**	**1491.98**	**1744.61**	**4053.02**	
कुल तेलंगाना	**2405.60**	**1279.99**	**1491.98**	**1744.61**	**4053.02**	
झारखण्ड						
केन्द्रीय क्षेत्र						
डीवीसी						
पंचेट	80.00	133.51	141.94	79.79	95.93	1959 (40 मे.वा.) 1991 (40 मे.वा.)
कुल डीवीसी	**80.00**	**133.51**	**141.94**	**79.79**	**95.93**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-झारखण्ड	**80.00**	**133.51**	**141.94**	**79.79**	**95.93**	
राज्य क्षेत्र						
जेयूयूएनएल						

सुबर्णरेखा I&II	130.00	30.13	190.38	101.19	34.96	1977 (65 मे.वा.) 1980 (65 मे.वा.)
कुल जेयूयूएनएल	**130.00**	**30.13**	**190.38**	**101.19**	**34.96**	
कुल राज्य क्षेत्र-झारखण्ड	**130.00**	**30.13**	**190.38**	**101.19**	**34.96**	
कुल झारखण्ड	**210.00**	**163.64**	**332.32**	**180.98**	**130.89**	
उड़ीसा						
राज्य क्षेत्र						
ओएचपीसी						
बालीमेला	510.00	1001.38	1477.19	1732.21	1260.50	1973 (60 मे.वा.) 1974 (120 मे.वा.) 1975 (60 मे.वा.) 1976 (60 मे.वा.) 1977 (60 मे.वा.) 2008 (150 मे.वा.)
हीराकुड I&II	347.50	716.97	863.05	548.58	669.16	1956 (32 मे.वा.) 1957 (81.5 मे.वा.) 1958 (49.5 मे.वा.) 1962 (37.5 मे.वा.) 1963 (37.5 मे.वा.) 1990 (37.5 मे.वा.) 1962 (48 मे.वा.) 1964 (24 मे.वा.)
रेंगाली	250.00	553.56	762.61	837.89	533.70	1985 (50 मे.वा.) 1986 (50 मे.वा.) 1989 (50 मे.वा.) 1990 (50 मे.वा.) 1992 (50 मे.वा.)
अपर इंद्रावती	600.00	1521.64	1745.57	2141.84	1751.90	1999 (300 मे.वा.) 2000 (150 मे.वा.) 2001 (150 मे.वा.)
अपर कोलाब	320.00	619.34	706.87	923.25	591.18	1988 (160 मे.वा.) 1990 (80 मे.वा.) 1993 (80 मे.वा.)
कुल ओएचपीसी	**2027.50**	**4412.89**	**5555.29**	**6183.77**	**4806.44**	
एपजेनको						
मचकुंड	114.75	700.31	467.70	593.68	498.81	1955 (34 मे.वा.) 1956 (17 मे.वा.) 1959 (63.75 मे.वा.)
कुल एपजेनको-उड़ीसा	**114.75**	**700.31**	**467.70**	**593.68**	**498.81**	
कुल राज्य क्षेत्र-उड़ीसा	**2142.25**	**5113.20**	**6022.99**	**6777.45**	**5305.25**	
कुल उड़ीसा	**2142.25**	**5113.20**	**6022.99**	**6777.45**	**5305.25**	
सिक्किम						
केन्द्रीय क्षेत्र						
एनएचपीसी						
रंगित	60.00	347.14	345.91	349.09	312.14	2000 (60 मे.वा.)
तीस्ता-V	510.00	2773.46	2818.78	2701.46	2554.00	2008 (510 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी (सिक्किम)	**570.00**	**3120.60**	**3164.69**	**3050.55**	**2866.14**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-सिक्किम	**570.00**	**3120.60**	**3164.69**	**3050.55**	**2866.14**	
राज्य क्षेत्र						
तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल)						
तीस्ता III	1200.00	309.42	4429.33	4258.40	5553.85	2017 (1200 मे.वा.)
कुल टीयूएल	**1200.00**	**309.42**	**4429.33**	**4258.40**	**5553.85**	
कुल राज्य क्षेत्र-सिक्किम	**1200.00**	**309.42**	**4429.33**	**4258.40**	**5553.85**	
निजी क्षेत्र						
डैंस एनर्जी प्रा. लि. (डीईपीएल)						
जोरथांग लूप	96.00	405.63	406.01	409.75	376.24	2015 (96 मे.वा.)
शिगा एनर्जी प्रा. लि. (डीईपीएल)						
ताशिडिंग	97.00	0.00	73.07	423.73	407.64	2017 (97 मे.वा.)
गाटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (जीआईपीएल)						
चूजाचैन एचईपी	110.00	494.75	444.79	417.40	447.60	2013 (110 मे.वा.)

सिनेहा काइनेटिक						
दिक्चू	96.00	0.00	370.10	462.24	465.66	2017 (96 मे.वा.)
कुल निजी-सिक्किम	**399.00**	**900.38**	**1293.97**	**1713.12**	**1697.14**	
कुल सिक्किम	**2169.00**	**4330.40**	**8887.99**	**9022.07**	**10117.13**	
पश्चिम बंगाल						
केन्द्रीय क्षेत्र						
एनएचपीसी						
तीस्ता लो डैम-III	132.00	553.87	386.87	572.06	534.46	2013 (132 मे.वा.)
तीस्ता लो डैम-IV	160.00	602.53	495.15	708.45	677.60	2016 (160 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी (डब्ल्यूबी)	**292.00**	**1156.40**	**882.02**	**1280.51**	**1212.06**	
डीवीसी						
मैथॉन	63.20	122.03	114.41	101.36	68.12	1957 (20 मे.वा.) 1958 (43.2 मे.वा.)
कुल डीवीसी-डब्ल्यूबी	**63.20**	**122.03**	**114.41**	**101.36**	**68.12**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-डब्ल्यूबी	**355.20**	**1278.43**	**996.43**	**1381.87**	**1280.18**	
राज्य क्षेत्र						
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल						
जलढाका I	36.00	205.46	145.18	197.04	174.01	1967 (18 मे.वा.) 1972 (9 मे.वा.)
पुरुलिया पीएसएस	900.00	1106.97	1014.37	1103.97	898.94	2007 (900 मे.वा.)
रम्माम II	50.00	248.42	122.47	236.93	223.31	1995 (25 मे.वा.) 1996 (25 मे.वा.)
कुल डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	**986.00**	**1560.85**	**1282.02**	**1537.94**	**1296.26**	
कुल राज्य क्षेत्र –डब्ल्यूबी	**986.00**	**1560.85**	**1282.02**	**1537.94**	**1296.26**	
कुल पश्चिम बंगाल	**1341.20**	**2839.28**	**2278.45**	**2919.81**	**2576.44**	
अरुणाचल प्रदेश						
केन्द्रीय क्षेत्र						
नीपको						
रंगानदी	405.00	1249.01	1416.74	1051.85	1163.29	2002 (405 मे.वा.)
पारे	110.00	0.00	0.00	347.16	425.56	2018 (110 मे.वा.)
कुल नीपको-अरुणाचल प्रदेश	**515.00**	**1249.01**	**1416.74**	**1399.01**	**1588.85**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-अरुणाचल	**515.00**	**1249.01**	**1416.74**	**1399.01**	**1588.85**	
कुल अरुणाचल	**515.00**	**1249.01**	**1416.74**	**1399.01**	**1588.85**	
असम						
केन्द्रीय क्षेत्र						
नीपको						
कोपिली	200.00	1088.27	1172.83	1117.82	716.90	1988(100 मे.वा.) 1996 (50 मे.वा.) 1997 (50 मे.वा.)
खांडोंग	50.00	197.10	260.77	203.82	157.39	1984 (50 मे.वा.)
कुल नीपको-असम	**250.00**	**1285.37**	**1433.60**	**1321.64**	**874.29**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-असम	**250.00**	**1285.37**	**1433.60**	**1321.64**	**874.29**	
राज्य क्षेत्र						
एपीजीसीएल						
कारबी लांगपी	100.00	396.59	484.98	372.72	363.91	2007 (100 मे.वा.)
कुल एपीजीसीएल	**100.00**	**396.59**	**484.98**	**372.72**	**363.91**	
कुल राज्य क्षेत्र-असम	**100.00**	**396.59**	**484.98**	**372.72**	**363.91**	
कुल असम	**350.00**	**1681.96**	**1918.58**	**1694.36**	**1238.20**	
नागालैण्ड						
केन्द्रीय क्षेत्र						
नीपको						
दोयांग	75.00	258.94	274.39	231.47	162.07	2000 (75 मे.वा.)
कुल नीपको-नागलैण्ड	**75.00**	**258.94**	**274.39**	**231.47**	**162.07**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-नागालैण्ड	**75.00**	**258.94**	**274.39**	**231.47**	**162.07**	
कुल नागालैण्ड	**75.00**	**258.94**	**274.39**	**231.47**	**162.07**	
मणिपुर						
केन्द्रीय क्षेत्र						
एनएचपीसी						
लोकटक (मणिपुर)	105.00	741.07	837.74	602.61	308.17	1983 (105 मे.वा.)
कुल एनएचपीसी-मणिपुर	**105.00**	**741.07**	**837.74**	**602.61**	**308.17**	

कुल केन्द्रीय क्षेत्र-मणिपुर	**105.00**	**741.07**	**837.74**	**602.61**	**308.17**	
कुल मणिपुर	**105.00**	**741.07**	**837.74**	**602.61**	**308.17**	
मेघालय						
राज्य क्षेत्र						
एमईपीजीसीएल						
किरदमकुलाई	60.00	65.29	132.18	134.84	113.78	1979 (60 मे.वा.)
मिंटडू	126.00	391.65	502.47	362.95	412.75	2011 (84 मे.वा.) 2013 (42 मे.वा.)
न्यू उमतरू	40.00	0.00	159.52	180.03	155.89	2017 (40 मे.वा.)
उमियम स्टे.I	36.00	96.65	128.65	85.11	87.57	1965 (36 मे.वा.)
उमियम स्टे. IV	60.00	166.01	217.44	166.60	139.14	1992 (60 मे.वा.)
कुल एमईपीजीसीएल	**322.00**	**719.60**	**1140.26**	**929.53**	**909.13**	
कुल राज्य क्षेत्र-मेघालय	**322.00**	**719.60**	**1140.26**	**929.53**	**909.13**	
कुल मेघालय	**322.00**	**719.60**	**1140.26**	**929.53**	**909.13**	
मिजोरम						
केन्द्रीय क्षेत्र						
नीपको						
तुरियल	60.00	0.00	78.37	168.44	151.50	2017 (60 मे.वा.)
कुल नीपको-मिजोरम	**60.00**	**0.00**	**78.37**	**168.44**	**151.50**	
कुल केन्द्रीय क्षेत्र-मिजोरम	**60.00**	**0.00**	**78.37**	**168.44**	**151.50**	
कुल मिजोरम	**60.00**	**0.00**	**78.37**	**168.44**	**151.50**	
कुल अखिल भारत	**45399.20**	**122378**	**126123**	**134894**	**129535**	

****

अनुबंध-**II**

जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के संबंध में दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के अनुबंध भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

निर्माणाधीन (25 मेगावाट से अधिक) जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

(31.12.2019 के अनुसार**)**

क्र.सं.	**स्कीम का नाम/ (निष्पादन एजेंसी)**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)**
आंध्र प्रदेश		
1	पोलावरम (एपजेनको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	960.00
	कुल-जोड़: आंध्र प्रदेश	**960.00**
अरुणाचल प्रदेश		
2	कमेंग (नीपको)	600.00
3	सुबानसीरी लोअर (एनएचपीसी)	2000.00
	कुल-जोड़: अरुणाचल प्रदेश	**2600.00**
हिमाचल प्रदेश		
4	पारबती स्टे. II (एनएचपीसी)	800.00
5	सावरा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	111.00
6	शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	450.00
7	यूएचएल-III (बीवीपीसीएल)	100.00
8	बजोली होली (जीएमआर)	180.00
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	100.00
10	टांगनू रोमाई (टीआरपीजी)	44.00
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	100.00
	कुल-जोड़ः हिमाचल प्रदेश	**1885.00**
जम्मू एवं कश्मीर		
12	पाकल डुल (सीवीपीपीएल)	1000.00
13	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	37.50
14	लोअर कलनाई (जेकेएसपीडीसी)	48.00
15	# रतले (आरएचईपीपीएल /एनएचपीसी)	850.00
	कुल-जोड़: जम्मू एवं कश्मीर	**1935.50**
केरल		
16	पल्लीवासल (केएसईबी)	60.00
17	थोट्टियार (केएसईबी)	40.00
	कुल-जोड़: केरल	**100.00**
मध्य प्रदेश		
18	##महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	400.00
	कुल-जोड़: मध्य प्रदेश	**400.00**

महाराष्ट्र		
19	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	80.00
	कुल-जोड़: महाराष्ट्र	**80.00**
पंजाब		
20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/ सिंचाई विभाग, पंजाब)	206.00
	कुल-जोड़: पंजाब	**206.00**
सिक्किम		
21	तीस्ता स्टे. VI एनएचपीसी	500.00
22	भस्मे (गाटी इन्फ्रास्ट्रक्चर)	51.00
23	रंगित-IV (जल पावर)	120.00
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	66.00
25	रोंगनिचु (मध्य भारत)	96.00
26	पनान (हिमगिरी)	300.00
	कुल-जोड़: सिक्किम	**1133.00**
तमिलनाडु		
27	कुंडाह पंप्ड स्टोरेज फेस-I,II&III)	500.00
	कुल-जोड़: तमिलनाडु	**500.00**
उत्तराखण्ड		
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	171.00
29	तपोवन विष्णुगढ़ (एनटीपीसी)	520.00
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	1000.00
31	विष्णुगढ़ पीपलकोटी (टीएचडीसी)	444.00
32	नियतवार मोरी (एसजेवीएनएल)	60.00
33	वयासी (यूजेवीएनएल)	120.00
34	सिंगोली भटवारी (एल&टी)	99.00
35	फाटा ब्यूंग (लेनको)	76.00
	कुल-जोड़: उत्तराखण्ड	**2490.00**
पश्चिम बंगाल		
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	120.00
	कुल-जोड़: पश्चिम बंगाल	**120.00**
	कुल:	**12409.50**

\# दिनांक 09.02.2017 को जम्मू कश्मीर, पीडीडी ने पीपीए को रदद् कर दिया और जेकेएसपीडीसी को परियोजना संभालने का निर्देश दिया है। जेवी मोड में परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु दिनांक 03.02.2019 को एनएचपीसी (51% हिस्सा) तथा जेकेएसपीडीसी (49% हिस्सा) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

\## दिनांक 01 जून 2016 से मुख्य ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने बहुमत इक्विटी प्राप्त किया है, अर्थात् श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी। मामला अदालत में है।

*****

अनुबंध-III

जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के संबंध में दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 293 के अनुबंध भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

डीपीआर/निर्माण पूर्व चरण (25 मे.वा. से अधिक) जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम/(निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
अरुणाचल प्रदेश			
1	पिन्नापुरम (ग्रीनको एनर्जी)	निजी	1200.00
	कुल-जोड़: आंध्र प्रदेश		**1200.00**
हिमाचल प्रदेश			
2	चंजू-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	48.00
3	देवथल चंजू (एचपीपीसीएल)	राज्य	30.00
4	धौलासिध (एसजेवीएनएल)	केन्द्रीय	66.00
	कुल-जोड़: हिमाचल प्रदेश		**144.00**
जम्मू एवं कश्मीर			
5	न्यू गंदेर्वाल (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	93.00
6	किरु (सीवीपीपीएल)	केन्द्रीय	624.00
	कुल-जोड़: जम्मू एवं कश्मीर		**717.00**
असम			
7	लोअर कोपिली (एपीजीसीएल)	राज्य	120.00
	कुल-जोड़: असम		**120.00**
	कुल:		**2181.00**

*****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-294

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि

294. श्री टी.जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि में हुई वृद्धि के मामले पर गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि में हुई इस असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : अतिदेय भुगतान के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए, एक पोर्टल नामतः **प्राप्ति** (उत्पादकों की इनवॉइस में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत क्रय में भुगतान अनुसमर्थन एवं विश्लेषण) विकसित किया है जिस पर उत्पादक विभिन्न डिस्कॉमों से देय बकाया राशि को स्वयं प्रविष्टि करते हैं। 30 नवंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, **प्राप्ति** पोर्टल पर अतिदेय राशि 72,938 करोड़ रुपए है।

(ख) : विद्युत उत्पादन कंपनियों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि में वृद्धि के कई कारण हैं जिसमें वितरण कंपनियों की वित्तीय अदक्षता और वितरण कंपनियों को सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों की बकाया बिजली प्रयोग राशि में निरंतर वृद्धि शामिल है।

(ग) : सरकार ने वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत क्रय करार के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयुक्त साख पत्र (एलसी) को बनाए रखने के लिए 28 जून, 2019 को एक आदेश जारी किया है। राज्यों से वितरण कंपनियों को देय राशियों का भुगतान करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन कंपनियों को देय राशियों का भुगतान करने के लिए अपनी वितरण कंपनियों को सलाह देने के लिए भी कहा गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-295

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

बिजली की मांग में गिरावट

295. श्री संजय राउतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में देश भर के विभिन्न हिस्सों में बिजली की मांग कम हो रही है;

(ख) यदि हां, पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बिजली की घटती मांग के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ती जा रही है। गत दो वर्षों के दौरान विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता तथा आपूर्ति के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता		ऊर्जा की आपूर्ति	
	(मिलियन यूनिट)	% वृद्धि	(मिलियन यूनिट)	% वृद्धि
2017-18	1,213,326	6.2	1,204,697	6.1
2018-19	1,274,595	5.0	1,267,526	5.2

इस प्रकार, गत वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता तथा आपूर्ति में क्रमशः 5.0 प्रतिशत तथा 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-296

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत और गैस आधारित परियोजनाएं

296. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से 2019 की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को ताप विद्युत और गैस आधारित परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त में से कितनी परियोजनाओं को 31 दिसंबर, 2018 तक मंजूरी दे दी गई है और कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और कितने प्रस्तावों को विशेषतः पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया; और

(ग) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के पश्चात्, विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस लिए सीईए में नई ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-297

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाना

297. कुमारी शैलजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत विद्युत विकास योजना की प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्मार्ट मीटर लगाने हेतु आबंटित एवं प्रयुक्त निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर हरियाणा के संबंध में, ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा में लगाए गए स्मार्ट मीटरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति (जनवरी, 2020 तक) **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : आईपीडीएस के अंतर्गत, 12 राज्यों (21 डिस्कॉमों) में लगभग 41.5 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए 834 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट मीटरों के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/डिस्कॉम-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम, स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, ईईएसएल ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार हरियाणा राज्य में, 23 जनवरी, 2020 तक, 88,803 स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं :

क्रम सं.	**जिला**	**ईईएसएल द्वारा अधिष्ठापित स्मार्ट मीटरों की संख्या**
1.	गुरूग्राम	43,777
2.	करनाल	41,026
3.	पंचकुला	4,000
	कुल	88,803

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 297 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति:

क्रम संख्या	राज्य	यूटिलिटी	समग्र आईपीडीएस प्रगति (प्रतिशत)
1	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	एएन-डीआईएससीओएम	0.0
2	आंध्रप्रदेश	एपीईपीडीसीएल	पूर्ण
3		एपीएसपीडीसीएल	पूर्ण
4	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल-पीडी	46.7
5	असम	एपीडीसीएल	81.1
6	बिहार	एनबीपीडीसीएल	72.9
7		एसबीपीडीसीएल	67.5
8	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	67.7
9	दिल्ली	एनडीएमसी	48.4
10	गोवा	गोवा-पीडी	76.9
11	गुजरात	डीजीवीसीएल	पूर्ण
12		एमजीवीसीएल	पूर्ण
13		पीजीवीसीएल	पूर्ण
14		यूजीवीसीएल	पूर्ण
15	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	70.3
16		यूएचबीवीएनएल	89.4
17	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	68.1
18	जम्मू कश्मीर	जेपीडीसीएल	13.9
19		केपीडीसीएल	20.3
20	झारखंड	जेबीवीएनएल	70.2
21	कर्नाटक	बीईएससीओएम	पूर्ण
22		सीईएससीओएम	पूर्ण
23		जीईएससीओएम	पूर्ण
24		एचईएससीओएम	पूर्ण
25		एमईएससीओएम	पूर्ण
26	केरल	सीपीटी	पूर्ण
27		केएसईबीएल	पूर्ण
28	लद्दाख	एलपीडीडी	12.2
29	मध्य प्रदेश	एमपीएमकेवीवीसीएल-सी	79.5
30		एमपीपीकेवीवीसीएल-ई	पूर्ण

31		एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	89.0
32	महाराष्ट्र	बीईएसटी	61.9
33		एमएसईडीसीएल	71.6
34	मणिपुर	मणिपुर-पीडी	50.0
35	मेघालय	एमईपीडीसीएल	72.6
36	मिजोरम	मिजोरम-पीडी	59.6
37	नागालैंड	नागालैंड-पीडी	60.6
38	ओडिशा	सीईएसयू	65.0
39		एनईएससीओ	75.0
40		एसओयूटीएसीओ	84.8
41		डब्ल्यूईएससीओ	88.1
42	पुंडुचेरी	पुंडुचेरी-पीडी	50.3
43	पंजाब	पीएसपीसीएल	76.8
44	राजस्थान	एजेवीवीएनएल	पूर्ण
45		जेएवीवीएनएल	पूर्ण
46		जेडीवीवीएनएल	पूर्ण
47	सिक्किम	सिक्कीम-पीडी	16.8
48	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	93.2
49 49	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	पूर्ण
50		टीएसएसपीडीसीएल	पूर्ण
51	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	54.4
52	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	90.9
53		केईएससीओ	पूर्ण
54		एमवीवीएनएल	84.4
55		पीएवीवीएनएल	90.7
56		पीओवीवीएनएल	83.6
57	उत्तराखंड	यूपीसीएल	42.7
58	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	78.0
59		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	80.56
	कुल :		**81.59**

स्रोत : पीएफसी

<u>अनुबंध-II</u>

दिनांक 04.02.2020 को राज्य सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 297 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्मार्ट मीटरों हेतु आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत तथा जारी राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा डिस्कॉम-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	राज्य	यूटिलिटी	पीएमए सहित कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	पीएमए सहित भारत सरकार का अनुदान घटक (करोड़ रुपये)	पीएमए सहित जारी भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपये)	नोडों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	57	34		284444
2		एपीएसपीडीसीएल	5	3		25000
3	बिहार	एनबीपीडीसीएल	70	42		350700
4		एसबीपीडीसीएल	87	53		434600
5	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	37	22	1	181997
6	गुजरात	डीजीवीसीएल	7	4		32882
7		एमजीवीसीएल	20	12		100000
8		पीजीवीसीएल	18	11		90051
9		यूजीवीसीएल	8	5		38950
10	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	27	23		135716
11	कर्नाटक	सीईएससीओएम	67	40		332850
12		एचईएससीओएम	69	42		343100
13	केरल	केएसईबीएल	65	39		321800
14	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल-उब्ल्यू	69	42		345463
15	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	80	48		400000
16	पंजाब	पीएसपीसीएल	18	11		88100
17	राजस्थान	एजीवीवीएनएल	38	23		188860
18		जेएवीवीएनएल	57	34		281782
19		जेओवीवीएनएल	20	12		97158
20	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	13	8		65000
21		टीएसएसपीडीसीएल	3	2		13000
	कुल :		**834**	**509**	**1**	**41,51,453**

स्रोत : पीएफसी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-298

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

तेलंगाना में परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति

298. श्री बी. लिंग्याह यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में 1080 मेगावॉट भद्राद्री ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र और यादाद्री विद्युत उत्पादन केन्द्र को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तेलंगाना राज्य में 500 मेगावॉट बिजली आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए वारंगल से महेश्वरम तक 765 किलोवॉट लाईन के निर्माण और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 600 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने के लिए रायगढ़ से पुगलुरू गलियारे सहित उत्तर-दक्षिण विद्युत गलियारा परियोजना को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और स्मार्ट मीटरों को लगाकर बिजली बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएसजेनको) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार:-

i. तेलंगाना राज्य के जिला खम्मम में भद्राद्री ताप विद्युत परियोजना जिसमें 270 मेगावाट की प्रत्येक 4 यूनिट शामिल हैं। 270 मेगावाट की पहली यूनिट दिनांक 19.09.2019 को संकालित की गई है और इससे फरवरी 2020 से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। परियोजना की यूनिट 2,3 और 4 को क्रमशः दिसंबर 2020 तक चालू कर लिया जाएगा। परियोजना प्रगति में तेजी लाने के लिए की गई कार्रवाई निम्नलिखित हैं:-

   क. अतिरिक्त जनशक्ति की वृद्धि और टी एवं पी (क्रेनों आदि) का परिनियोजन

   ख. गैर-निष्पादन संविदाकारों को नई एजेंसियों से बदलना।

   ग. निष्पादन में तेजी लाने के लिए साइट पर परियोजना प्रबंधन अधिकारियों और परीक्षण एवं कमीशनिंग के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती।

ii. तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिला में यादाद्री सुपर थर्मल पावर परियोजना जिसमें 800 मेगावाट की प्रत्येक 5 यूनिटें शामिल हैं। संयंत्र के शेष कार्यों पर निर्णय (बीओपी) दिनांक 30.12.2019 को लिया गया और सिविल एवं संरचनात्मक पैकेजों की निविदा अग्रिम चरण में है। संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने तक, लांग साइकिल पैकेज जैसे- चिमनी और कूलिंग टावर के सिविल कार्यों को साइट पर पहले से

परिनियोजित वैकल्पिक एजेंसियों के माध्यम से फरवरी 2020 में शुरू किया जाएगा। बड़े विद्युत संयंत्र उपकरण का विनिर्माण किया गया है और क्रमवार साइट पर आपूर्ति की जाएगी। परियोजना की यूनिटों को अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक क्रमवार चालू किया जाएगा।

iii. इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि ये राज्य के स्वामित्व वाली परियोजनाएं हैं।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि वहां कोई विशिष्ट परियोजना जैसे उत्तर-दक्षिण विद्युत गलियारा परियोजना नहीं है। तथापि वरोरा-वारंगल-महेश्वरम् (हैदराबाद) 765 केवी/डीसी पारेषण लाईन पश्चिमी क्षेत्र (वरोरा, महाराष्ट्र) और दक्षिण क्षेत्र (महेश्वरम् तेलंगाना) के बीच में है। वारंगल-महेश्वर लाईन वरोरा-वारंगल-महेश्वरम् (हैदराबाद) 765 केवी डी/सी पारेषण लाईन का हिस्सा है। वरोरा-वारंगल-महेश्वरम् लाईन निर्माणाधीन है और नवम्बर,2019 तक पूरी होने की संभावना थी। तथापि वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के कोयला खनन क्षेत्र में मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मामले के कारण वरोरा-वारंगल हिस्से में कार्य रूका हुआ है।

राजगढ़-पुगालुर 800 केवी एचवीडीसी बाईपोल लिंक पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिण क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) के बीच में है। तमिलनाडु में मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यु) लाइन के पश्चिम भाग में अधिक वन मिलने (वन्यजीव) के मुद्दे हैं। जिला प्रशासन की सहायता से मामलों को हल करने के लिए विकासकर्ता द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विकासकर्ता ने आगे यह सूचित किया है कि वन्यजीव गलियारा मंजूरी पर 18.07.2019 को भारतीय वन्य जीवन बोर्ड(एनबीडब्ल्युएल) की बैठक में चर्चा की गई और एनबीडब्ल्युएल द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया गया। यह लाईन निर्माण के अग्रिम भाग में है और यह मार्च 2020 तक चालू हो जाएगी।

वर्तमान में, नई ग्रिड से विद्युत आयात करने के लिए दक्षिण क्षेत्र की एटीसी (उपलब्ध हस्तांतरण क्षमता) 11,150 मेगावाट है। रायगढ़-पुगालुर एचवीडीसी बाईपोल लिंक और वरोरा-वारंगल 765 केवी/डीसी लिंक के चालू होने से लगभग 9,550 मेगावाट की एटीसी में बढ़ने की संभावना है। तथापि वर्तमान दीर्घावधि आधार के तहत शेष ग्रिड से दक्षिण क्षेत्र के विद्युत अंतरण में कोई बाधा नहीं है।

स्मार्ट मीटरों की स्थापना से विद्युत की बचत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

i. भारत सरकार एटी एवं सी हानियों में कमी करके डिस्कॉमों को वित्तीय व्यवहार्य बनाने के लिए प्रोपेड मोड़ में स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए विभिन्न चालू योजनाओं के तहत राज्यों को सहायता दे रही है।

ii. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत, भारत सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 41.5 लाख स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए 834 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है।

iii. नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन(एनएसजीएम) के तहत स्मार्टग्रिड कार्यान्वयन के लिए 990 करोड़ रूपए का परिव्यय किया गया है जिसमें स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए प्रावधान है। यह प्री-पेड मोड में भी प्रयोग किए जा सकते हैं।

iv. एनर्जी इफिसीएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) बूट (निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, हस्तांतरण) के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रहा है जहां आरंभिक निवेश ईईएसएल द्वारा किया जा रहा है और राज्य/यूटीलिटीज मासिक किराया आधार पर ईईएसएल को रूपए वापस करती है।

v. ईईएसएल स्मार्ट मीटरों के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, एनडीएमसी-दिल्ली, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों के साथ एमओयू/ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. वर्तमान में, 10 लाख से अधिक स्मार्ट मीटरों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आंध्रदेश और एडीएमसी-दिल्ली राज्यों में स्थापित एवं संचालित किए गए हैं।

vii. तेलंगाना राज्य के लिए, आईपीडीसी के तहत, 78000 स्मार्ट मीटरों के लिए भारत सरकार की 9.43 करोड़ रूपए की निधि सहित 15.67 करोड़ रूपए की परियोजना मंजूर की गई है।

viii. इसके अतिरिक्त, 17.47 करोड़ रुपये के भारत सरकार के सहयोग सहित 34.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 11,906 उपभाक्ताओं पर स्मार्ट मीटर वाली ग्रिड पायलट परियोजना तेलंगाना राज्य में टीएसएसपीडीसीएल डिस्कॉम द्वारा भी ली गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-299

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

देश में पारेषण हानि

299. श्री के.जे. एल्फोंसः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पारेषण हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिससे वे आत्म-निर्भर बन सकें?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में अंत:राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में हुई पारेषण हानि 2.5 - 3% की रेंज में है, जो तकनीकी प्रकृति की है। गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंत:राज्यीय पारेषण/उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में हुई हानियां शामिल हैं, के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानियों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2015 में यूटिलिटियों के वित्तीय और प्रचालनात्मक कायापलट करने के लिए द उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का शुभारंभ किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में अधिक हानि वाले राज्यों को अपने प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है, जिसमें वित्तीय छूट प्राप्त श्रेणियों इत्यादि के लिए वास्तविक ऊर्जा लेखांकन पर आधारित सब्सिडी देने तथा ऊर्जा लेखांकन की एक प्रणाली स्थापित करना सम्मिलित है।

****

अनुबंध-I

राज्य-वार एटी एंड सी हानि (%)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासति राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	13.77	14.26	13.41
2	अरूणाचल प्रदेश	53.64	58.36	उपलब्ध नहीं
3	असम	20.10	17.64	18.2
4	बिहार	41.57	33.05	27.39
5	छत्तीसगढ़	20.99	18.08	23.28
6	दादरा एवं नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	7.95
7	दमन एवं द्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9.37
8	दिल्ली	10.79	9.70	NA
9	गोवा	24.33	13.52	10.46
10	गुजरात	14.18	12.96	12.59
11	हरियाणा	26.42	21.78	17.45
12	हिमाचल प्रदेश	11.48	11.08	8
13	जम्मू एवं कश्मीर	59.97	53.67	49.76
14	झारखंड	35.95	32.48	31.95
15	कर्नाटक	16.82	15.61	14.1
16	केरल	16.37	15.89	10.83
17	मध्य प्रदेश	25.72	29.61	31.9
18	महाराष्ट्र	22.73	18.97	16.94
19	मणिपुर	34.00	23.39	22.55
20	मेघालय	38.81	39.77	32.59
21	मिजोरम	24.98	22.44	68.35
22	नागालैंड	38.50	41.36	उपलब्ध नहीं
23	ओडिशा	36.33	31.80	उपलब्ध नहीं
24	पुदुचेरी	21.34	19.77	16.41
25	पंजाब	14.46	17.31	12.04
26	राजस्थान	27.33	24.05	21.29
27	सिक्किम	46.52	32.48	33.04
28	तमिलनाडु	18.23	18.53	14.02
29	तेलंगाना	15.19	19.91	11.77
30	त्रिपुरा	29.20	31.34	15.24
31	उत्तर प्रदेश	41.50	38.29	24.64
32	उत्तराखंड	16.68	15.79	12.64
33	पश्चिम बंगाल	27.92	26.74	उपलब्ध नहीं
	राष्ट्रीय	**23.56**	**22.31**	**18.19**

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 17 और वित्तीय वर्ष 18 की उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति यूटिलिटियों के लेखापरीक्षित/प्रमाणित वार्षिक लेखों के आधार पर पीएफसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है और वित्तीय वर्ष 19 की प्रगति संबंधित वर्षों/तिमाहियों के दौरान उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रविष्टि किए गए अनंतिम/अनंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित है, जो वर्ष की समाप्ति पर लेखापरीक्षित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। राज्यों द्वारा जब कभी डाटा अपलोड किया जाता है तो यह पोर्टल तुरंत डेटा अभिग्रहण कर लेता है।

एनए - उपलब्ध नहीं

****

अनुबंध-II

राज्य बिद्युत बोर्डों को हुई हानि

(सभी आंकड़े करोड़ रुपए में हैं)

क्रम सं.	उदय राज्य/संघ शासति राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	**आंध्र प्रदेश**	(2,282)	(2)	(1,563)
2	**अरूणाचल प्रदेश**	(34)	164	(2)
3	**असम**	(174)	(197)	उपलब्ध नहीं
4	**बिहार**	(1,257)	(3,071)	(1,440)
5	**छत्तीसगढ़**	(422)	(279)	(145)
6	**दादरा एवं नगर हवेली**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	16
7	**दमन एवं द्वीप**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	(16)
8	**दिल्ली**	404	491	उपलब्ध नहीं
9	**गोवा**	(283)	26	19
10	**गुजरात**	275	426	464
11	**हरियाणा**	(193)	412	278
12	**हिमाचल प्रदेश**	(44)	6	20
13	**जम्मू एवं कश्मीर**	(4,063)	(2,999)	(3,654)
14	झारखंड	(1,741)	(212)	(695)
15	कर्नाटक	(1,119)	(495)	1,949
16	केरल	(1,495)	(784)	(941)
17	मध्य प्रदेश	(1,470)	(5,064)	(6,331)
18	महाराष्ट्र	785	492	472
19	मणिपुर	(17)	(5)	(28)
20	मेघालय	(343)	(287)	(89)
21	मिजोरम	(147)	87	(275)
22	नागालैंड	(62)	(62)	उपलब्ध नहीं
23	ओडिशा	(913)	(792)	उपलब्ध नहीं
24	पुदुचेरी	(8)	(134)	(11)
25	पंजाब	(2,836)	(907)	(288)
26	राजस्थान	(1,981)	2,173	4,773
27	सिक्किम	(115)	(29)	उपलब्ध नहीं
28	तमिलनाडु	(4,349)	(7,761)	(9,257)
29	तेलंगाना	(6,202)	(5,485)	(7,609)
30	त्रिपुरा	40	64	(16)
31	उत्तर प्रदेश	(3,322)	(5,083)	(2,576)
32	उत्तराखंड	(289)	(229)	(308)
33	पश्चिम बंगाल	(25)	(40)	उपलब्ध नहीं
	कुल	**(33,680)**	**(29,576)**	**(27,250)**

टिप्पणी :

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हानियों को दर्शाते हैं।
2. वित्तीय वर्ष 17 और वित्तीय वर्ष 18 की उपरोक्त दर्शाई गई प्रगति यूटिलिटियों के लेखापरीक्षित/प्रमाणित वार्षिक लेखों के आधार पर पीएफसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है और वित्तीय वर्ष 19 की प्रगति संबंधित वर्षों/तिमाहियों के दौरान उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रविष्टि किए गए अनंतिम/अनंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित है, जो वर्ष की समाप्ति पर लेखापरीक्षित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। राज्यों द्वारा जब कभी डाटा अपलोड किया जाता है तो यह पोर्टल तुरंत डेटा अभिग्रहण कर लेता है।
3. एनए - उपलब्ध नहीं

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-300

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन

300. प्रो. एम. वी. राजीव गौडाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ई-वाहनों के लिए सक्रिय चार्जिंग स्टेशनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशनों का प्रस्ताव किया गया है और उनके स्थान और क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत चार्जिंग स्टेशन जीवाश्म ईंधन से चालित हैं अथवा क्या वे ग्रिड से संयोजित हैं, यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चार्जिंग कीमतों के मानकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या पद्धतियां अपनाई गई हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : ऊर्जा प्रभावी सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक संयुक्त उद्यम है, जो देश में पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के अधिष्ठापन में लगा हुआ है। विभिन्न राज्यों में ईईएसएल तथा एनटीपीसी द्वारा अधिष्ठापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या नीचे वर्णित है :

क्रम सं.	राज्य	ईईएसएल	एनटीपीसी	कुल
1.	दिल्ली	54	28	82
2.	चैन्नई मेट्रो	08	-	08
3.	नोएडा	02	-	02
4.	नागपुर मेट्रो	02	-	02
5.	उत्तर प्रदेश	-	11	11
6.	हरियाणा	-	04	04
7.	आंध्र प्रदेश	-	02	02
8.	मध्य प्रदेश	-	12	12
कुल		**66**	**57**	**123**

(ख) : प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की अतिरिक्त संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ग) : ईईएसएल तथा एनटीपीसी द्वारा अधिष्ठापित ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों को ग्रिड के साथ जोड़ा गया है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने 01.10.2019 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना - संशोधित दिशा-निर्देश तथा मानक" जारी किए हैं। इस दस्तावेज का पैरा 11.3 बताता है कि ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) सरकारी प्रोत्साहनों (वित्तीय अथवा अन्य) द्वारा अधिष्ठापित किए गए हैं, राज्य नोडल अभिकरण/राज्य सरकार, उपयुक्त आयोग पीसीएस द्वारा लिए जाने वाले सेवा प्रभारों की अधिकतम सीमा नियत करेंगा। उपयुक्त अभिकरण, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, के पास सब्सिडी देने, कमतर सेवाओं के शुल्क के लिए निविदाएं आमंत्रित करने अथवा नियत सेवा शुल्क इत्यादि की मात्रा के लिए बोली लगाने का विकल्प होगा

****

अनुबंध-I

ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.02.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध ।

I. ईईएसएल द्वारा प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की अतिरिक्त संख्या :

शहर	एसी-001	डीसी-001	सी72*	सी-122 चार्जर**
चडीगढ़	10	31	50	
दिल्ली	67	160	6	29
मुंबई	33	80	120	
अहमदाबाद	33	70	100	
हैदराबाद	17	60	100	
नोएडा	7	29	50	
गुरूग्राम	8	30	50	
जयपुर	33	34	28	
चैन्नई	10	45	78	
जन सेवा केंद्र (पैन इंडिया)	2,584			
कोलकाता		50	100	
बैंगलोर	1	13	24	
गोवा	20	45	50	
नागपुर		38	76	
चार्जरों की कुल संख्या	**2,823**	**685**	**832**	**29**

टिप्पणी :

*सी72: एससी-72 चार्जर में तीन गन - एक 50 किलोवाट डीसी सीसीएस, एक पचास किलोवाट डीसी सीएचएडीईएमओ तथा एक 22 किलोवाट टाईप II एसी होता है। यह चार्जर एक समय में 72 किलोवाट का आउटपुट (50 किलोवाट के अधिकतम डीसी आउटपुट तथा 22 किलोवाट के एसी आउटपुट सहित) दे सकता है।

*सी122: एससी-122 चार्जर में तीन गन - एक 50 किलोवाट डीसी सीसीएस, एक पचास किलोवाट डीसी सीएचएडीईएमओ तथा एक 22 किलोवाट टाईप II एसी होता है। यह चार्जर एक समय में 122 किलोवाट का न्यूनतम आउटपुट (100 किलोवाट का डीसी आउटपुट तथा 22 किलोवाट का एसी आउटपुट) दे सकता है।

II. एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की अतिरिक्त संख्या:

एनटीपीसी के संबंध में, विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा अधिष्ठापित किए जाने वाले प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की अतिरिक्त संख्या यह है : दिल्ली - 30, आंध्र प्रदेश - 13, तेलंगाना - 10, गुजरात - 4, तमिलनाडु - 2 और केरल - 2 । चार्जर भारत एसी एवं डीसी चार्जर है।

III. भारी उद्योग विभाग द्वारा फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की अतिरिक्त संख्या:

फेम - इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत, भारी उद्योग विभाग ने बैंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे शहरों में लगभग 43 करोड़ रुपए के लगभग 500 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को स्वीकृति दी है। 500 चार्जिंग स्टेशनों में से, 250 चार्जिंग स्टेशनों का अधिष्ठापन कर लिया गया है। हाल ही में, फेम - इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत, इस विभाग ने 24 राज्यों में फैले 62 शहरों में 19 सार्वजनिक संस्थाओं को 2,636 चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति भी दे दी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-301

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2020 को दिया जाना है ।

गुणवत्तायुक्त बिजली प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश को अनुदान

301. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए 9,000 करोड़ रुपये का ऋण संस्वीकृत किया गया है ताकि आंध्र प्रदेश में सातों दिन चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम-ज्योति योजना तथा समन्वित विद्युत विकास योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वरूप वर्ष-वार और योजना-वार कितनी राशि संस्वीकृत और जारी की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : विश्व बैंक ने उपभोक्ताओं को 24X7 गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश को 240 मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र की ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई तथा अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं :

स्कीम	स्वीकृत परियोजना (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)	निर्मुक्त अनुदान स्वीकृत परियोजना (करोड़ रुपये में)	
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)	941	566*	165	177
एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)	941	566*	233	18

*स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त 15% अनुदान के प्रावधान के साथ अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 60% स्वीकृत है बशर्ते कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों।

****